18.12.2017	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित। प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुना गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर)द्वारा व्यक्त किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना सुन्धामाता रोप वे प्रा.लि. के आकस्मिक निरीक्षण एवं उसकी जांच से संबंधित थी तथा जांच प्रभावित होने की संभावना को मध्य नजर रखते हुये एवं फर्म द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के निवेदन किया गया।फलस्वरूप कार्यालय द्वारा अपीलांट को जरिये पत्रांक/991दिनांक12.09.2017 को पत्र लिखा जाकर सूचनाए उपलब्ध करवाने से इन्कार किया गया। प्रकरण में जांच अब प्रभावित होने की आंशका नहीं है एवं प्राथमिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।इसलिये अपीलांट को जरिये पत्रांक/ 1255 दिनांक 05.12.2017 को निशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है। अत: अपीलांट की अपील अस्वीकार की जावे। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रारूप में जांच दल द्वारा दिनांक 22.07.2017 को मौके पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही गई। लेकिन अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 729440 के संलग्न आवेदन में 8 बिन्दुओ पर सूचना चाहने का आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की है।जिसमें रोप वे के लिये भारत सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी वन भूमि के प्रत्यावन, रोप वे के संचालन के संबंधित सूचना चाही गई है। इसी प्रकार एक अन्य अपील में अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 729440 के संलग्न आवेदन में 8 बिन्दुओ पर सूचना चाहने का आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की है।जिसमें रोप वे के लिये भारत सरकार के वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी वन भूमि के प्रत्यावन, रोप वे के संचालन के संबंधित सूचना चाही गई है। उक्त दोनो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 40एफ 729440 के आवेदन पत्र एक ही होने से एक ही अपील दर्ज की गई।जिस बाबत अपीलांट को जरिये पत्रांक/कोर्ट/1991 दिनांक 22.11.2017 से सूचित किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर द्वारा अपने अभिलेख सहित उपस्थित हुये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।प्रकरण में अपीलांट द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)जालोर के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम6(1)के तहत दिनांक 21.07.2017 को आवेदन पत्र मंत्री श्री चामुण्डा माताजी ट्रस्ट सुन्धा पर्वत (जालोर) की हैसियत से प्रस्तुत किया।जिसे राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक/आरटीआई/2017/772 दिनांक 26.07.2017 को अपीलांट को सूचित किया कि अधिनियम के प्रावधानानुसार पदनाम से मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई जाना संभव नहीं है। 5d	

तत्पश्चात अपीलांट द्वारा उपर वर्णित 1से 8 बिन्दुओ की सूचना ताराचंद पुत्र छोगालाल जोशी मालवाडा आर तहसील रानीवाडा के नाम से 11.08.2017 को आवेदन पत्र संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730101 पेश किया। जिस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक/929 दिनांक 01.09.2017 के द्वारा सूचना शुल्क जमा कराने हेतु मांग पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत करवाया कि उक्त सूचना शुल्क अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक जमा नहीं करवाया है।

अपीलांट द्वारा अपील मीमो में वर्णित सूचना बाबत एक अन्य आवेदन पत्र पोस्टल आर्डर संख्या 40एफ730102 दिनांक 11.08.2017 पेश किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील प्रारूप में वर्णित जांच दल द्वारा दिनांक 22.07.2017 को जांच से संबंधित सूचना अपीलांट को जरिये पत्रांक/1255 दिनांक 05.12.2017 को निशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है।

अपीलांट को भी निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 11.08.2017 को आवेदन पत्र संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 730101 के आवेदन पत्र में 1 से 8 बिन्दुओ पर चाही सूचना शुल्क जमा नहीं करवाने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार लंबित है।ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2017 के तहत सूचना हेतु वांछित दस्तावेजो के पेटे राशि रूपये 42/- जमा कराने हेतु अपीलार्थी /प्रार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. से दिनांक 01.09.2017 को सूचित किया गया होने से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद की श्रेणी में लंबित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार Pre-mature प्रस्तुत होने से श्रवण योग्य नहीं है।अत: अपील अपीलांट खारिज की जाकर फैसल शुमार की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख बाद अवलोकन पुन: लौटाया गया।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

RTI 2017/00103